

प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 13.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही





पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर बहराइच बॉर्डर जालिम नगर चौराहा, नकहा एवं रामापुर में यातायात प्रभारी निर्मलजीत यादव, आरक्षी यातायात संदीप कुमार, राज, पंकज वर्मा एवं पुलिस सहायता केंद्र मुराउन पुरवा थाना धौराहरा के पुलिस किमीयों के साथ चेकिंग की गई एवं आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में म्यूजिक के माध्यम से एवं पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें ट्रक, ट्रैक्टर डबल ट्राली पर गन्ना आदि ओवर हाइट कर परिवहन ना करें, वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गित में चलाएं नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें स्टंट बाइकिंग से बचे हैं काली फिल्म हूटर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्रॉली लोडर पिकअप पर यात्रा न करें एवं यातायात नियमों के अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 212 वाहनों का चालान 03 वाहन सीज किए गए हैं।

शीतऋतु/कोहरा कें दृष्टिगत दुर्घटना को रोकथाम हेतु करीब 75 ट्रैक्टर ट्राली, डनलप, लोडर, पिकअप एवं अन्य वाहनों में निशुल्क रिफ्लेक्टर टेप लगवाया गया।

थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त इतवारी पुत्र जैराम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त इतवारी पुत्र जैराम निवासी बेहड़ा थाना मितौली जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 416/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना मितौली पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा सार्वजिनक स्थान पर जुआं खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 660/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 415/22 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 215 लीटर अवैध</u> <u>शराब बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 215 लीटर अवैध कच्ची शराब व 01 शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्त को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 11 अभियोग पंजीकृत किए गए।